

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)

फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ccf,bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसंभ/2021-22/ 6706
निमित्त,

दिनांक 13-10-22

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक File no. 8-14/2021-F(Vol.) Dated 24.08.2022 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 6306 दिनांक 05.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 24.08.2022 से प्राप्त आक्षेपों की निम्नानुसार पूर्ति कर उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 05.10.2022 से प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

S.No.	Stipulated EDS	Compliance
1.	The DCF, Bharatpur had recommended that no mining should be allowed in 15.30 ha area which falls inside Eco-Sensitive Zone of Band-Baretha Wildlife Sanctuary and accordingly the Proposal was recommended by the State Govt. However, now it has been informed that the boundaries of Eco sensitive Zone of Bandh Baretha Wild life Sanctuary are being modified. In view of this, the Govt. is requested to clarify the position along-with a copy of Notification of Eco-sensitive Zone.	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि बंध बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(71)वन/बंध बरेठा/02/दिनांक 23.03.2021 से परिवर्तन किया गया है। बंध बरेठा अभ्यारण्य के ईको सेसिटिव जोन के परिवर्तन के प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को भिजवाये गये हैं। प्रस्तावित खनन क्षेत्र नये ईको सेसिटिव जोन से बाहर है।
2.	Integrated Regional Office (IRO), Jaipur in his Site Inspection Report pointed out that the proposed CA area is not of very good Quality as per Ministry's Guideline dated 13.07.2022 and only 200 Plants /ha can be planted on this area. Further it has been mentioned that in order to accommodate 1000 Plants for each hectare of CA plantation, in addition to 248.55 ha area an additional area of 994.206 ha (248.5515hax 4) can be utilized from the remaining 4582.809 ha which is already	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा 994.206 है० अतिरिक्त क्षेत्र एन.एफ.एल. के लिए प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 619.85 हैक्टर भूमि वर्ष 2008 में राजस्व विभाग से वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवंटित की गयी भूमि पर प्रस्तावित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में आवंटित की गई भूमि में उक्त के अलावा अन्य कोई भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। इसलिए शेष 374.356 हैक्टर (279.206 है० वनखण्ड आदीबट्टी पर्वत बी एवं 95.

	available at the same location. In view of this, the State Govt. Shall revisit the proposed CA sites and ensure that the same are in the accordance with the Ministry guideline issued vide Letter No. 11-423/2011-FC dated 13.07.2022. The Ca Scheme approved by the competent authority is accordingly required to be submitted.	15 है0 वनखण्ड कनकांचल पर्वत ए) हाल ही में जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश क्रमांक: 134 . दिनांक 21.07.2022 द्वारा शर्ताधीन (उक्त भूमि स्वीकृत एवं विचाराधीन डायवर्जन प्रस्तावों हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के रूप में उपयोग होगी) विभाग को प्राप्त हुई है, जिसका गजट नोटिफिकेशन रक्षित वन के रूप में घोषित हो चुका है, उक्त भूमि पर एन.एफ.एल. वृक्षारोपण 374.356 हैक्टर प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि के नक्शे, सी.ए. स्कीम व नोटिफिकेशन संलग्न है। (annexue-1)
3	IRO Jaipur has also reported that the proposed CA areas comprising Kankanchal and Adi Badri hills in Bharatpur District forms part of important Brij Chaurashi region, which is main centre of the Krishna Circuit of the Hindu Pilgrimage. State Govt. shall examine the impact of the same on proposed CA areas and ensure that it does not adversely affect the continuity and compactness of the CA areas.	उक्त बिन्दु के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा Undertaking की प्रति प्रस्तुत कर दी गई है। प्रति संलग्न है। (annexue-2)
4	The State govt has not yet uploaded the kml file of the safety Zone on PARIVESH portal. It is again requested that the KML file for safety zone area may be uploaded on PARIVESH.	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त बिन्दु की पालना में के.एम.एल. पुनः अपलोड कर दी गई है। सैफ्टी जोन की के.एम.एल. को श्यान कलर (CYAN COLOUR) से मार्क किया गया है। उक्त आवेदित प्रत्यावर्तित क्षेत्र में यूजर एजेन्सी द्वारा खनन पट्टों के लिये पृथक से माईनिंग प्लान का अनुमोदन किया जायेगा जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर ग्रीन बैल्ट के लिये सैफ्टी जोन रहेगा।
5	The approved reclamation plan for open cast mining has not been furnished which is required to be done.	उक्त बिन्दु की पालना में माईनिंग प्लान यूजर एजेन्सी द्वारा परिवेश पोर्टल पर पार्ट-1 में पुनः अपलोड कर दिया गया है। साथ ही उक्त माईनिंग प्लान हार्ड कॉपी पृथक से उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा पत्रांक 2969 दिनांक 04.05.2022 से भिजवा दी गई है।

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरांत प्रकरण ऑनलाईन व हार्ड प्रति संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय

२-
(डॉ. सी. आर. मीना)
वन संरक्षक (एम.एण्ड.ई.)
भरतपुर